



कार्यालय कार्यपालक निदेशक (मानव संसाधन एवं प्रशासन)
मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड
(म.प्र.शासन का उपक्रम)

CIN No. U40109MP2001SGC14882

ब्लॉक नं.-9, शक्ति भवन, रामपुर, जबलपुर - 482008

फोन नं. : 0761-2702615
फैक्स नं. : 0761-2665805

ई मेल : mppgcl@mp.nic.in
वेबसाइट : www.mppgenco.nic.in

क्र: का.नि.(मा.सं.एवं प्र.)/मप्रपॉजकंलि/चिकित्सा/5568

जबलपुर, दि. 14/12/15

उल्लेखित आदेश

म.प्र.पॉ.जन.कं.लि. जबलपुर का आदेश क्रमांक 4590 दिनांक 09.10.2015 में वर्णित 40 चिकित्सालयों में से 15 चिकित्सालयों के नाम क्रमशः सरल क्रमांक 1, 2, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 22, 25, 26, एवं 29 पूर्व से ही म.प्र.राज्य विद्युत मण्डल के आदेश क्रमांक 585 दिनांक 20.08.2001 में उल्लेखित चिकित्सालयों की सूची में समाहित हैं। अतः इन 15 चिकित्सालयों के नामों को आदेश क्रमांक 4590 दिनांक 09.10.2015 में से विलोपित किया जाता है।

उपरोक्त 15 चिकित्सालयों में उपचार कराने के लिए किये गये व्यय के भुगतान की प्रतिपूर्ति मण्डल के कम्पनी द्वारा बाध्य आदेश क्रमांक 585 दिनांक 20.08.2001 में उल्लेखित दर एवं शर्तों के अनुसार पूर्ववत् रहेगी।

(ए.के. अवस्थी)

कार्यपालक निदेशक (मा.सं.सा.एवं प्रशा.)
म.प्र.पॉ.जन.कं.लि. जबलपुर

- क्र: का.नि.(मा.सं.एवं प्र.)/मप्रपॉजकंलि/चिकित्सा/5568 जबलपुर, दि. 14/12/15
- 1- कार्यपालक निदेशक/मुख्य अभियंता (संचा.संथा.-उत्पा.)/(सिविल अभियांत्रिकी)/(ईंधन एवं बंधन/अभियांत्रिकी)/(नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण)/(संचा.संथा.-जल विद्युत)/(सामग्री प्रबंधन)/(सी.एस.)/(परियोजना उत्पा.) म.प्र.पॉ.जन.कं.लि. जबलपुर।
 - 2- कार्यपालक निदेशक/मुख्य अभियंता (उत्पादन), संगंताविगृह/अताविगृह/सताविगृह/श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना, म.प्र.पॉ.जन.कं.लि. बिरसिंहपुर/चचाई/सारनी/खण्डवा।
 - 3- मुख्य महाप्रबंधक (मानव संसाधन), म.प्र.पॉ.मैनेजमेंट कं.लि., जबलपुर।
 - 4- मुख्य महाप्रबंधक (मानव संसाधन), म.प्र.पूर्व क्षेत्र वि.वि.कं.लि. जबलपुर।
 - 5- मुख्य महाप्रबंधक (मानव संसाधन), म.प्र.मध्य क्षेत्र वि.वि.कं.लि. भोपाल।
 - 6- मुख्य महाप्रबंधक (मानव संसाधन), म.प्र.पश्चिम क्षेत्र वि.वि.कं.लि. इन्दौर।
 - 7- मुख्य महाप्रबंधक (कार्पोरेट अफेयर्स), म.प्र.पॉ.ट्रांस.कं.लि., जबलपुर।
 - 8- मुख्य वित्तीय अधिकारी, म.प्र.पावर जनरेटिंग कं.लि. जबलपुर।
 - 9- अतिरिक्त मुख्य अभियंता (उत्पादन-भंडार)/(सिविल सर्वेक्षण एवं अनुसंधान, जल विद्युत संधारण) (टीएचसी) म.प्र.पावर जनरेटिंग कं.लि. जबलपुर/सिरमौर।
 - 10- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, म.प्र.पॉ.मैनेजमेंट कं.लि., जबलपुर।
 - 11- मुख्य चिकित्सा अधिकारी/वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा अधिकारी, म.प्र.पॉ.जन.कं.लि., चचाई/बिरसिंहपुर/सारनी/खण्डवा।
 - 12- मुख्य सुरक्षा अधिकारी, म.प्र.पावर जनरेटिंग कं.लि. जबलपुर।
 - 13- अधीक्षण अभियंता (उत्पादन) ~~म.प्र.पॉ.जन.कं.लि. बिरसिंहपुर/चचाई/सारनी/खण्डवा~~ म.प्र.पॉ.जन.कं.लि. मधुसिंहपुर/तातलोड़ा/चदरा/बरगानगर/शिवपुरी/सिलपरा/देवलोद/झिन्जा।
 - 14- अधीक्षण अभियंता (सिविल) सर्वे एवं अनु./जल वि.संथा.वृत्त), म.प्र.पॉ.जन.कं.लि. जबलपुर।
 - 15- वरिष्ठ लेखाधिकारी, (सी.ओ.जी.एण्ड एच.एस.), म.प्र.पावर जनरेटिंग कं.लि. जबलपुर।
 - 16- वरिष्ठ लेखाधिकारी/क्षेत्रीय लेखाधिकारी (सी.ओ.जी.एण्ड एच.एस.)/संगंताविगृह/अताविगृह/सताविगृह/श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना/ट्रांस जल विद्युत गृह, म.प्र.पॉ.जन.कं.लि. बिरसिंहपुर/चचाई/सारनी/खण्डवा/सिरमौर।
 - 17- निज सचिव/निज सहायक सचिव/संचालक/संचालक (राजकीय) वापिस, म.प्र.पॉ.जन.कं.लि. जबलपुर।

(ए.के. अवस्थी)

कार्यपालक निदेशक (मा.सं.सा.एवं प्रशा.)
म.प्र.पॉ.जन.कं.लि. जबलपुर



कार्यालय कार्यपालक निदेशक (मानव संसाधन एवं प्रशासन)

मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड

(म.प्र.शासन का उपक्रम)

CIN No. U40109MP2001SGC14882

ब्लॉक नं.-9, शक्ति भवन, रामपुर, जबलपुर - 482008

फोन नं. : 0761-2702615

ई मेल : mppgcl@mp.nic.in

फैक्स नं.: 0761-2665805

वेबसाइट : www.mppgenco.nic.in

क्र: का.नि.(मा.सं.एवं प्र.)/मप्रपॉजकलि/चिकित्सा/4590 जबलपुर, दि. 9-10-2015

आदेश

उप सचिव/संचालक, चिकित्सा शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन, भोपाल के आदेश क्र. 4-23/2013/2/पचपन दिनांक 11.02.2014 एवं एफ-18/58/2000/1/पचपन दिनांक 14.06.2015 द्वारा राज्य के बाहर चिकित्सा हेतु मान्यता/वृद्धि को अधिग्रहित करते हुए, म.प्र. पावर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड अपने अधिकारियों/कर्मचारियों एवं उनके आश्रित सदस्यों के जांच एवं उपचार हेतु म.प्र.शासन द्वारा जारी आदेशों के जारी होने की तिथियों से (भूतलक्षी प्रभाव से) निर्धारित दरों पर, निम्न तालिका में दर्शाए गए चिकित्सालयों को सशर्त ग्राह्य करते हुए उनके नाम के समक्ष दर्शाई गई अवधि तक के लिए चिकित्सा करती है:-

क्र.	चिकित्सालय का नाम	म.प्र.शासन का आदेश क्रमांक	शहर का नाम	मान्यता अवधि
1	ए.आई.आई.एम.एस.(एम्स)	एफ 4-23/2013/2/ पचपन, भोपाल, दि. 11.2.2014	नई दिल्ली	लगातार
2	जी.बी.पन्त चिकित्सालय	-- तदेव --	- तदेव -	-- तदेव --
3	एल.एन.टी.पी.चिकित्सालय	-- तदेव --	- तदेव -	-- तदेव --
4	नेशनल हाट इस्टीट्यूट	-- तदेव --	- तदेव -	-- तदेव --
5	के.ई.एम. हॉस्पिटल	-- तदेव --	मुम्बई	-- तदेव --
6	जसलोक चिकित्सालय	-- तदेव --	- तदेव -	-- तदेव --
7	बी.वाय.एल.नायर चिकित्सालय	-- तदेव --	- तदेव -	-- तदेव --
8	टाटा मेमोरियल चिकित्सालय	-- तदेव --	- तदेव -	-- तदेव --
9	नानावटी चिकित्सालय	-- तदेव --	- तदेव -	-- तदेव --
10	बाँववे हॉस्पिटल एण्ड मेडिकल रिसर्च सेंटर	-- तदेव --	- तदेव -	22.08.2014
11	एस्काट हाट इस्टीट्यूट एण्ड रिसर्च सेंटर	-- तदेव --	दिल्ली	06.04.2015
12	इन्द्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल	-- तदेव --	- तदेव -	06.05.2015
13	भगवती हॉस्पिटल	-- तदेव --	- तदेव -	27.09.2015
14	पुण्डालिया कार्डियोथेरासिक फाउण्डेशन	-- तदेव --	चेन्नई	लगातार
15	अपोलो हॉस्पिटल	-- तदेव --	- तदेव -	-- तदेव --
16	शंकर नेत्रालय	-- तदेव --	- तदेव -	-- तदेव --
17	जिजाम इस्टीट्यूट	-- तदेव --	हैदराबाद	-- तदेव --
18	प्रशांदा हॉस्पिटल	-- तदेव --	- तदेव -	-- तदेव --
19	प्रतापल हॉस्पिटल	-- तदेव --	- तदेव -	16.07.2015
20	निहारा हॉस्पिटल	-- तदेव --	बैंगलूर	लगातार

निरंतर 2

क्र.	चिकित्सालय का नाम	म.प्र.शासन का आदेश क्रमांक	शहर का नाम	मान्यता अवधि
21	नारायण हृदयालय हॉस्पिटल लिमिटेड	एफ4-23/2013/2/पचपन, भोपाल, दि.11.2.2014	बैंगलोर	18.08.2015
22	सी.एम.सी.(किश्चयन मेडिकल कॉलेज)	-- तदैव --	वेल्लोर	लगातार
23	श्री चित्रा इस्टीट्यूट	-- तदैव --	त्रिवेन्द्रम	लगातार
24	बी.एच.यू. (बनारस हिन्दु यूनिवर्सिटी)	-- तदैव --	वाराणसी	-- तदैव --
25	एस.जी.पी.जी.आई.	-- तदैव --	लखनऊ	-- तदैव --
26	पी.जी.आई	-- तदैव --	चण्डीगढ़	-- तदैव --
27	साउथन रेल्वे चिकित्सालय	-- तदैव --	बरमपुर	-- तदैव --
28	अरनेजा हॉर्ट इस्टीट्यूट	-- तदैव --	नागपुर	10.04.2015
29	श्योरटेक हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर	-- तदैव --	- तदैव -	12.01.2015
30	किसेन्ट हॉस्पिटल	-- तदैव --	- तदैव -	01.04.2015
31	स्पन्दन हॉर्ट इस्टीट्यूट एण्ड रिसर्च सेंटर	-- तदैव --	- तदैव -	30.04.2015
32	केयर हॉस्पिटल	-- तदैव --	- तदैव -	30.04.2015
33	होप हॉस्पिटल	-- तदैव --	- तदैव -	15.08.2015
34	अवति इस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी	-- तदैव --	- तदैव -	26.08.2015
35	चौधरी हॉस्पिटल फ्रैकचर, एक्सीडेंट, ऑर्थोपेडिक्स नर्सिंग होम	-- तदैव --	- तदैव -	19.09.2015
36	श्रीकृष्णा हृदयालय एवं क्रिटिकल केयर सेंटर	-- तदैव --	- तदैव -	03.10.2015
37	मेडिट्रिना इस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस	-- तदैव --	- तदैव -	27.09.2015
38	शेल्बी हॉस्पिटल	-- तदैव --	अहमदाबाद	26.08.2015
39	अपोलो हॉस्पिटल	-- तदैव --	- तदैव -	12.08.2015
40	मेदान्ता द मेडिसिटी	एफ-4-39/2011/55-2 दिनांक 08.06.2015	गूडगाँव (हरियाणा)	08.06.2017

उपरोक्त चिकित्सा संस्थान में उपचार/जांच के लिए अन्य शर्तें निम्नानुसार होंगी : -

- 1- कंपनी अधिकारियों/कर्मचारियों एवं उनके आश्रित परिवार के सदस्यों द्वारा उपरोक्त चिकित्सा संस्थान में जांच कराने के पूर्व, कंपनी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी और निकटतम शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय के प्राध्यापक/विभागाध्यक्ष/विशेषज्ञ द्वारा अनुमति प्राप्त किए जाने एवं मण्डल/कंपनी से अनुमति प्राप्त करने पर, उपरोक्त संस्थान में उपचार प्राप्त किया जा सकता है।
- 2- उपरोक्त चिकित्सा संस्थान के द्वारा कंपनी के अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा उन पर आश्रित परिवार के सदस्यों से पंजीयन शुल्क नहीं लिया जावेगा।
- 3- उपरोक्त चिकित्सा संस्थान में जांच/उपचार कराने पर चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति, म.प्र.शासन द्वारा राज्य के बाहर मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालयों में उपचार हेतु जो दर निर्धारित की गई हैं, यदि उन दरों में प्रस्तावित अस्पताल की दरें कम हैं, तो उन दरों पर तथा यदि प्रस्तावित अस्पताल की दरें राज्य के बाहर मान्यता प्राप्त चिकित्सालयों की दरों से अधिक हैं, तो राज्य के बाहर के चिकित्सालय की दर से उपचार की दर सीमित करते हुए म.प्र.सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 1958 के अनुसार केवल 75% की सीमा तक की पात्रता होगी।

- 4- चिकित्सालय में म.प्र. शासन द्वारा जारी निर्धारित दरों की सूची लगाया जाना आवश्यक होगा तथा निर्धारित दरों पर ही रोगी का इलाज किया जावेगा।
- 5- मुख्य चिकित्सा अधिकारी या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी समय-समय पर चिकित्सालय द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की जांच कर सकेंगे।
- 6- म.प्र. शासन द्वारा निर्धारित जांच/इलाज की दर/पुनरीक्षित दर कंपनी के कर्मचारियों पर भी लागू होंगी।
- 7- किसी भी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर कंपनी के द्वारा उपरोक्त चिकित्सा संस्थान का चिन्हिकरण, किसी भी समय, बिना किसी पूर्व सूचना के, समाप्त किया जा सकेगा।

(ए.के. अवस्थी)

कार्यपालक निदेशक (मा.संसा.एवं प्रशा.)
म.प्र.पां.जन.कं.लि. जबलपुर

क्र: का.नि.(मा.सं.एवं प्र.)/मप्रपांजकलि/चिकित्सा/4591 जबलपुर, दि. 9-10-2015

- 1- कार्यपालक निदेशक/मुख्य अभियंता (संचा.संघा.-उत्पा.)/(सिविल अभियांत्रिकी)/(ईंधन प्रबंधन)/(अभियांत्रिकी)/(नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण)/(संचा.संघा.-जल विद्युत)/(सामग्री प्रबंधन)/(सी.एस.)/(परियोजना उत्पा.) म.प्र.पां.जन.कं.लि. जबलपुर।
- 2- कार्यपालक निदेशक/मुख्य अभियंता (उत्पादन), संगंताविगृह/अताविगृह/सताविगृह/श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना, म.प्र.पां.जन.कं.लि. बिरसिंहपुर/चचाई/सारनी/खण्डवा।
- 3- मुख्य महाप्रबंधक (मानव संसाधन), म.प्र.पां.मैनेजमेंट कं.लि., जबलपुर।
- 4- मुख्य महाप्रबंधक (मानव संसाधन), म.प्र.पूर्व क्षेत्र वि.वि.कं.लि. जबलपुर।
- 5- मुख्य महाप्रबंधक (मानव संसाधन), म.प्र.मध्य क्षेत्र वि.वि.कं.लि. भोपाल।
- 6- मुख्य महाप्रबंधक (मानव संसाधन), म.प्र.पश्चिम क्षेत्र वि.वि.कं.लि. इन्दौर।
- 7- मुख्य महाप्रबंधक (कार्पोरेट अफेयर्स), म.प्र.पां.टॉस.कं.लि., जबलपुर।
- 8- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, म.प्र.पां.वर जनरेटिंग कं.लि. जबलपुर।
- 9- अतिरिक्त मुख्य अभियंता (उत्पादन-भंडार)/(सिविल-सर्वेक्षण एवं अनुसंधान, जल विद्युत संधारण)/(टीएचसी) म.प्र.पां.वर जनरेटिंग कं.लि. जबलपुर/सिरमौर।
- 10- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, म.प्र.पां.मैनेजमेंट कं.लि., जबलपुर।
- 11- मुख्य चिकित्सा अधिकारी/वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा अधिकारी, म.प्र.पां.जन.कं.लि., चचाई/बिरसिंहपुर/सारनी/खण्डवा।
- 12- मुख्य सुरक्षा अधिकारी, म.प्र.पां.वर जनरेटिंग कं.लि. जबलपुर।
- 13- अधीक्षण अभियंता (उत्पादन)/गांधीसागर/पंच/राजघाट/रानी अवंतीबाई सागर/बाणसागर-दो/तीला/चार, मडीखेडा जल विद्युत गृह, म.प्र.पां.जन.कं.लि. गांधीसागर/तोतलाडोह/चंदेरी/बसो/जम/शिवपुरी/सिलपरा/देवलौद/झिन्ना,।
- 14- अधीक्षण अभियंता (सिविल) सर्वे एवं अनु./जल वि.संघा.वृत्त), म.प्र.पां.वर जनरेटिंग कं.लि. जबलपुर।
- 15- वरिष्ठ लेखाधिकारी, (सी.ओ.जी.एण्ड एच.एस.), म.प्र.पां.वर जनरेटिंग कं.लि. जबलपुर।
- 16- वरिष्ठ लेखाधिकारी/क्षेत्रीय लेखाधिकारी (सी.ओ.जी.एण्ड एच.एस.)/संगंताविगृह/अताविगृह/सताविगृह/श्री सिंगाजी ताप विद्युत परि./टॉस जल विद्युत गृह, म.प्र.पां.जन.कं.लि. बिरसिंहपुर/चचाई/सारनी/खण्डवा/सिरमौर।
- 17- निम्न लिखित/वि.वि.अ. सहायक संबद्ध प्रबंध संचालक/संचालक (तकनीकी/वाणिज्य), म.प्र.पा.जन.कं.लि. जबलपुर।

-कृपया म.प्र.पां.जन.कं.लि. के अधिकारियों/कर्मचारियों तथा उनके आश्रित परिवार के सदस्यों की जांच/संचार के दौरान समुचित समन्वय हेतु नोट्स अधिकारी/चिकित्सक को अधिकृत कर, तत्काल के कर्मचारी को तत्काल सूचित करें।

(पी.के. ननुवेदी)

संयुक्त सचिव-एक
कार्या.कार्य.निदे.(मा.संसा.एवं प्रशा.)
म.प्र.पां.जन.कं.लि. जबलपुर

NO. 01-01/IV/4934/585

The Board is permitting its officers/employees and their dependent family members for specialised consultation/treatment in certain hospitals/testing centres, in or outside the State, in case the required treatment is not available in Board's/Government Hospital/Govt. Medical Colleges and if the patient is referred to by Specialist of concerned Medical College/ for specialised consultation/treatment.

The matter has been reviewed by the Board and in supersession of all the previous orders regarding identification of various hospitals/test centres, the Board is pleased to permit its officers/employees and their dependent family members for specialised consultation/treatment in the following hospitals/testing centres, in or outside the State, in such cases for which treatment is not available in Board's Hospitals/Govt. Hospitals /Govt. Medical Colleges and which are referred to by the Professor/HoD/Specialist of concerned Govt. Medical College.

1. Masterney Home Wright Town, Jabalpur. X
2. Padhar Mission Hospital for staff stationed at Barni. X
3. Pravin Jansana Trust Hospital, Birla Gram, Nagda. X
for staff stationed at Nagda.
4. Tata Memorial Hospital, Mumbai for Cancer treatment. 8
5. KEM Hospital, Mumbai. 5
6. AIIMS, New Delhi. 4
7. PGIMS, Chandigarh. 26
8. Distt. Hospital, Lalitpur for staff stationed at Chanderi.
9. JLN Cancer Hospital, Bhopal for Cancer treatment. X
10. Escort Hospital, Heart Institute, New Delhi. 11
11. Apollo Hospital, New Delhi. 12
12. CMC Hospital, Vellore. 22
13. Apollo Hospital, Chennai. 15
14. Bombay Hospital, Mumbai. 10
15. Narayana Hospital, Mumbai. 9
16. Mizam Institute of Medical Sciences, Hyderabad. 17

....2....

17. Patall Chest & Heart Institute, New Delhi.
18. Chankar Natralay, Chennai. 16
19. PGL, Lucknow. 17
20. Suretch Apollo Medical Centre, Nagpur : For specified diseases as mentioned in order No.01-01/IV/523 dt.24.3.2001 for the staff stationed at STPS, Sarda, Ranch Hydrel Power Station in Seoni, Chhindwara, Balaghat and Betul Distt. 18
21. C.V. Pant Hospital, New Delhi. 19

FOR INVESTIGATION ONLY AND NOT FOR TREATMENT

Chofchram Hospital & Research Centre, Indore.

Apollo Medical Investigation Centre, Indore.

Bhopal Medical Centre, Bhopal.

The expenditure incurred on treatment in private hospitals/testing centres by the officers/employees shall be allowed for reimbursement to the extent of 75% of admissible amount & for treatment in Govt. Hospitals 100% reimbursement of admissible amount as per provisions of M.P. Civil Services (Medical Attendance) Rules, 1958 as adopted by the Board.

Further the additional facilities for medical attendance and treatment to its officers/employees and their dependent family members as prescribed vide Board's order No.01-01/IV/747 dt.11.8.98 under para 3(i), (ii), (iii), order No.01-01/IV/4936/793 dt.26.6.1999 (reimbursement of disposable medical item to those employees who meet with an accident while working on line/plant etc.) and order No.01-01/IV/440 dt.20.7.2001 regarding reimbursement of package death charges shall remain the same.

BY ORDER,

(VIRIYAMOLIAN UPADHYAYA)
SECRETARY